आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बिहार भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0-65/2023

अक्षयवट उपाध्याय..अपीलकर्त्ता

बनाम्

अरविन्द पाण्डेय एवं अन्य ....विपक्षीगण

04.08.2023

आदेश

प्रस्तुत B.L.D.R. अपीलवाद, न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर, सारण द्वारा भूमि विवाद वाद सं0-25/2022-23 में दिनांक 30.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की मापी हेतु सर्वे अधिवक्ता की नियुक्ति के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत वाद दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन में पाया गया है कि में पाया गया है कि प्रस्तुत वाद में अंतिम आदेश पारित नहीं है। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत अपीलवाद अपरिपक्व (immature) अवस्था में इस स्तर पर ग्रहण हेतु लाया गया है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।